"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 जनवरी 2013—पौष 14, शक 1934

भाग 2

निरंक

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

बिलासपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2012

प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-चकरभाठा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-15.73 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	551/1	1.54
	551/2	0.62
	575/1	0.17
	579/1	1.17
	584	0.40
	585	0.91
	591/1	0.25
	591/2	0.40
	579/2	0.40
	579/3	0.24
	579/4	0.10
	579/5	0.14
	580/1	0.62
	580/3	0.25
	581/1	0.54
	581/5	0.32
	581/7	0.32
	581/2	0.40
	581/3	0.15
	581/4	0.22
	581/6	0.54
	582	0.76
	583	0.98
	586/1	0.13
	586/2	0.86
	587/1	0.30
	587/2	0.26
	588/2	0.35
	592	0.57
	588/1	0.45
	588/3	0.35
	672/1	0.76
	672/3	0.26
योग	33	15.73

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सैन्य छावनी स्थापित किये जाने हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिल्हा के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

खरसिया, दिनांक 17 दिसम्बर 2012

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/12-13.—ग्राम बेन्दोझरिया, प.ह.नं. 34, (भू.अ.प्र.क्र.-03/अ-82/2012-13) तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ की निजी भूमि 9.069 हेक्टे. का प्रकाशन छ.ग. राजपत्र दिनांक 14-12-2012 के भाग 1 में पृष्ठ क्रमांक 2657 एवं 2658 में अधिसूचना प्रकाशित हुई है जिसके पृष्ठ क्रमांक 2658 में खसरा नं. (168/1, 168/2, 168/3, 164/4, 168/5, 168/6, 170/1)/1 प्रकाशित है जिसमें 168/4 के स्थान पर 164/4 हो गया है जिसे सुधार कर 164/4 के स्थान पर 168/4 संशोधित करते हुए (168/1, 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168/6, 170/1)/1 पढ़ा जावे.

एम. एल. साहू,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)